रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 155] नई दिल्ली, शनिवार, जून 30, 1973/आषाढ़ 9, 1895
No. 155] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 30, 1973/ASADHA 9, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June 1973

G.S.R. 329(E).—In exercise of the power conferred by section 25 of the Seeds Act, 1966 (54 of 1966), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Seeds Rules 1968, namely:—

1. These rules may be called the Seeds (Amendment) Rules, 1973.

2. In rule 19 of the Seeds Rule, 1968 (hereinafter called the said rules) the words, "shall exercise all the powers which a Court has and" shall be omitted.

3. In rule 21 of the said rules for sub-rules (2) and (3) the following sub-rules shall be substituted, namely:—

"(2) The Seed Analyst shall analyse the samples in accordance with the procedures laid down in the Seed Testing Manual published by the Indian Council of Agricultural Research as amended from time to time."

"(3) The Seed Analyst shall deliver in Form VII, a copy of the report of the result of analysis to the persons specified in sub-section (1) of Section 16, as soon as may be but not later than 30 days from the date of receipt of samples sent by the Seed Inspector under sub-section (2) of section 15."

4. In rule 23 of the said rules, in clause (h) for the words "competent authority" the words "State Government" shall be substituted.

[No. 7(17)/69-Seeds Dev.]

ANNA R. GEORGE, Jt. Secy.

कृषि मंत्रालय

(कृषि विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 1973

सा०का०नि० 329(अ)—बीज अधिनियम 1966 (1966 का 54) की धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार बीज नियम, 1968 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :—

1. इन नियमों का नाम बीज (संशोधन) नियम, 1973 है ।

2. बीज नियम, 1968 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के नियम 19 में, "उन सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो न्यायालय की होती है और" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

3. उक्त नियम के नियम 21 में उपनियम (2) और (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखे जाएंगे, अर्थात:—

(2) बीज विश्लेषक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा प्रकाशित समय-समय पर यथा संशोधित बीज परीक्षण विधि निर्देशिका में अधिकथित प्रक्रियाओं के अनुसार नमूनों का विश्लेषण करेगा ।

(3) बीज विश्लेषक, विश्लेषण के परिणाम की रिपोर्ट की प्रति धारा 16 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को प्ररूप 7 में, बीज निरीक्षक द्वारा धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन भेजे गए नमूनों की प्राप्ति की तारीख से यथाशक्य शीघ्र किन्तु 30 दिन के अपश्चात् परिदत्त करेगा ।

4. उक्त नियम के नियम 23 में, खण्ड (ज) में, "सक्षम प्राधिकारी," शब्दों के स्थान पर "राज्य सरकार", शब्द रखे जाएंगे ।

[सं० 7(17)/69-एस० डी०]

अन्ना आर० जार्ज, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973